न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2019/00335-2019RAAJu223RTA135 Shankerram Vs Revantram

1. शंकरराम पुत्र सांवताराम भील
2. प्रकाश पुत्र शंकरराम भील
3. पनाराम पुत्र शंकरराम भील
   निवासीगण फलोदी, तहसील फलोदी
   जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट

बनाम

1. रेवन्तराम पुत्र गेनारमा भील
   निवासी रणीसर, तहसील फलोदी
   जिला जोधपुर
2. बीरबलराम पुत्र प्रहलादराम विश्नोई
3. अनोपाराम पुत्र बीरबलराम विश्नोई
4. पूनाराम पुत्र बीरबलराम विश्नोई
5. अम्बाराम पुत्र बीरबलराम विश्नोई
6. श्रीमती बाधुदेवी पत्नी बीरबलराम विश्नोई
7. राधेश्याम पुत्र भाखरराम विश्नोई
8. भंवरी पत्नी अनोपाराम विश्नोई
9. माडू पत्नी भाखरराम विश्नोई
10. रोशनी पत्नी पूनाराम विश्नोई
11. बाधुदेवी पत्नी अम्बाराम विश्नोई
12. कमला पत्नी जगदीश विश्नोई
    निवासीगण आदर्शनगर, फलोदी
    जिला जोधपुर

-----रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर फलोदी दिनांक 11 सितम्बर 2019 राजस्व वाद संख्या 220/2008 रेवन्तराम बनाम शंकरराम आदि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पो. संख्या 2 से 12 तक तामील से छूट दी गयी

नि र्ण य

दिनांक : 17 फर., 2020

अपीलाण्ट ने यह अपील सहायक कलेक्टर, फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 220/2008 रेवन्तराम बनाम शंकरराम व अन्य में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 11 सितम्बर 2019 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 04 नवम्बर 2019 को प्रस्तुत की है।

इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 एवं 183 के तहत एक राजस्व वाद पेश कर जाहिर किया कि वादी-रेस्पो. संख्या एक की खातेदारी का एक खेत खसरा संख्या 670 रकबा 32 बीघा 12 बिस्वा वाके मौजा फलोदी स्थित है, उक्त भूमि वादी-रेस्पो. संख्या एक ने जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 28 जनवरी 2006 कय कर कब्जा प्राप्त किया है। खसरा संख्या 670 के पास ही श्रीमती संतोष पत्नी दयालचंद की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 669 रकबा 30 बीघा स्थित है जिसमें से 10 बीघा भूमि का बेचान श्रीमती संतोष द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 (रेस्पो. संख्या 2 से 7) को कर दिया तथा बकाया भूमि प्रतिवादीगण संख्या 10 से 13 (रेस्पो. संख्या 8 से 11) को कर दिया। उक्त केतागण-प्रतिवादीगण संख्या 4 से 13 (रेस्पो. संख्या 2 से 11) ने खसरा संख्या 699 की अपनी भूमि एवं वादी की भूमि की सीमा पर दीवार बनाने की बजाय वादी की भूमि के अन्दर वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में बताई "ए" - "बी" भाग पर दिनांक 20 सितम्बर 2008 को दीवार बनाना आरम्भ कर दिया, मनाही करने पर जबरन दीवार का निर्माण कार्य चालू रखा और दीवार बना ली। वादग्रस्त भूमि में वादी का एक कच्चा झूंपा भी निर्मित है, जो नजरी नक्शा में "एक्स" स्थान पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दर्शाया हुआ है, प्रतिवादीगण द्वारा उसके पास भी निर्माण सामग्री एकत्रित की जा रही है और वादी को बेदखल करने की धमकी भी दिनांक 20 सितम्बर 2008 को दी है, जिससे वादी को भय उत्पन्न हो गया है कि प्रतिवादीगण उसे बेदखल कर देंगे। अतः दावा स्वीकार किया जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण संख्या एक से तीन एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 से 14 द्वारा अलग-अलग जबाबदावा पेश किये गये। दावे एवं जबाबदावों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तनकियात कायम की गयी --

1. आया वादी खसरा संख्या 670 रकबा 32 बीघा 12 बिस्वा कस्बा फलोदी से प्रतिवादीगण को बेदखल करवा कर कब्जा प्राप्त करने का हकदार है?

जिम्मे वादी

2. आया वादी वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का हकदार है?

जिम्मे वादी

3. आया वादी खसरा संख्या 671 में बने कदीमी और पुराने भील समाज के पुरखों द्वारा बनाये गए रामदेवजी के मंदिर को उठाकर अनुचित एवं अनाधिकृत रूप से कब्जा करने पर प्रयत्नशील है?

जिम्मे प्रतिवादी

4. आया प्रतिवादीगण संख्या एक ता तीन वादी से यह वाद हैरान व परेशान करने से प्रतिवादीगण को वेदना व पीडा हुई क्षति के रूप में रुपये 5000/- प्राप्त करने के हकदार है?

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

जिम्मे प्रतिवादी

5. दादरसी?

अपने वाद की ताईद में तथा अपने जिम्मे की तनकियात को साबित करने के लिए वादी-रेस्पो. संख्या एक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा संख्या 670 रकबा 32 बीघा 12 बिस्वा वाके मौजा फलोदी से संबंधित स्वयं के नाम की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-1 संवत 2062-2065 पेश की और मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यु एक व दो, कमशः स्वयं और एक अन्य गवाह गोपालसिंह के शपथपत्र बयान में पेश किये। प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की बहस सुन कर जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 11 सितम्बर 2019 को वादी-रेस्पो. संख्या एक का दावा डिकी कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील पेश की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री को सही ढंग से पढे और समझे बिना ही उपलब्ध साक्ष्य व सामग्री के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परीशीलन नहीं किया और मात्र सरसरी तौर पर पत्रावली को देखते हुए आलौच्य निर्णय एवं डिकी पारित किये है जबकि पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार फलोदी की मौका रिपोर्ट पत्रावली पर संलग्न ही नहीं है और न ही तथाकथित "एक्स" स्थान वाली भूमि ही वादी अथवा प्रतिवादी संख्या एक से चौदह के खातेदारी की कब्जा काश्त की भूमि है, अपितु खसरा संख्या 671 की पडत सरकारी भूमि है, जिस पर भील समाज का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मंदिर स्थापित है जिससे किसी भी पक्षकार के खातेदारी अधिकार संबंधित है। वादी-रेस्पो. की खातेदारी के खसरा संख्या 670 तथा अपीलाण्ट व अन्य प्रतिवादीगण की खातेदारी के खसरा संख्या 669 के मध्य खसरा संख्या 671, 672 व 673 की भूमि स्थित है, अतः वादी-रेस्पो. द्वारा अपने वादपत्र में किये गये अभिकथन किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं हो सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई मौका रिपोर्ट तलब किये वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर "एक्स" स्थान को खसरा संख्या 670 की भूमि होना मान कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो तथ्यों एवं मौके की वास्तविक स्थिति से भिन्न है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दौराने वाद रेस्पो. संख्या एक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी स्वीकार करने में भी विधिक भूल की गयी है, क्योंकि जबाबदावा पेश होने के बाद व प्रकरण साक्ष्य में नियत होने के बाद किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया कि रेस्पो. संख्या एक खसरा संख्या 670 का रिकार्डेड खातेदार है। स्वयं प्रतिवादीगण संख्या दो से चार की ओर से प्रस्तुत जबाब में जाहिर किया गया है कि खसरा संख्या 670 से उक्त प्रतिवादीगण का कोई सरोकार नहीं है। वाद के दौरान प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 का दो वर्ष की अवधि तक कोई जबाब प्रतिवादीगण की ओर से पेश नहीं किया गया और न ही संशोधित वादपत्र का कोई खण्डन किया गया। वाद के दौरान धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रार्थनापत्र में मौके की रिपोर्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मंगवाने के आदेश दिये गये। वादी-रेस्पो. ने अपने वाद की पुष्टि में साक्ष्य-सबूत भी पेश किये, वादी-रेस्पो. संख्या एक की साक्ष्य से जिरह भी की गयी। 27 जनवरी 2019 से 12 जुलाई 2019 तक पत्रावली प्रतिवादीगण की साक्ष्य हेतु विचाराधीन रही, मगर प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य नहीं करवाई गयी। अन्ततः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की साक्ष्य का अवसर बंद किया गया। अंत में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक ने अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से तदनुसार खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। **आलौच्य प्रकरण में वादी-रेस्पो. संख्या एक खसरा संख्या 670 का रिकार्डेड खातेदार है तथा** प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या दो से बारह व अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 आराजी खसरा संख्या 699 के केता-खातेदार है जिन्होंने यह आराजी प्रतिवादी-अपीलाण्ट संख्या एक से पंजीबद्ध विकय विलेख के माध्यम से कय की थी। समस्त विवाद, तनकियात, साक्ष्य सुनवाई एवं निर्णय खसरा संख्या 670 के इर्द-गिर्द एवं उस पर अतिकमण के मुद्दे बाबत ही हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी भी वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 670 रकबा 32 बीघा 12 बिस्वा वाके मौजा फलोदी में प्रतिवादीगण संख्या एक ता तीन को अतिकमी घोषित किया जाकर तहसीलदार फलोदी माफिक आदेश पालना किये जाने हेतु आदेश जारी किये गये है। अन्य किसी खसरा संख्या बाबत उक्त निर्णय एवं डिकी पूर्णतया प्रभावहीन है, ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट्स जो कि खसरा संख्या 699 के खातेदार है, को अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी से किसी प्रकार की कोई परेशानी या उजदारी होने का कोई औचित्य नजर नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आता हैं। जहॉ तक खसरा संख्या 671 का प्रश्न है? उसके संबंध में स्वयं अपीलाण्ट्स का क्या और किस प्रकार से कोई साधिकार संबंध है, यह अपीलाण्ट्स की ओर से स्पष्ट नहीं किया जा सका है। प्रकरण की पत्रावली से संबंधित आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही वाली पत्रावली पर एक मौका फर्द विघमान है जो निसंदेह अपीलाण्ट को खसरा संख्या 670 पर अतिकमी सिद्ध करती है। उसका खसरा संख्या 671 एवं 672 में कब्जा होने का पृथक-पृथक विरोधाभासी कथन यह जाहिर करते है कि वह इन खसरों में भी किसी प्रकार का स्वत्व/अधिकार नहीं रखता है। अपीलाण्ट अवैध रूप से चाहे सरकारी भूमि पर हो या अन्य किसी खातेदारी भूमि पर काबिज हो, बेदखली के लिए दायी है। उसके स्वयं के कथनानुसार उसका खसरा संख्या 670 में कोई सरोकार नहीं है। लिहाजा कानूनन उसे खसरा संख्या 670 से बेदखल किया जाना है। इस निष्कर्ष के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिकी विधिसम्मतः होने से उसमें कोई दखल की आवश्यकता नहीं है।

अतः अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है, जो तदनुसार खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं दिनांक 11 सितम्बर 2019 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिकी पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/12/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट	ब ना म	रेस्पोडेण्ट
1. शंकरराम पुत्र सांवताराम भील 2. प्रकाश पुत्र शंकरराम भील 3. पनाराम पुत्र शंकरराम भील निवासीगण फलोदी, तहसील फलोदी जिला जोधपुर		1. रेवन्तराम पुत्र गेनारमा भील निवासी रणीसर, तहसील फलोदी जिला जोधपुर 2. बीरबलराम पुत्र प्रहलादराम विश्नोई 3. अनोपाराम पुत्र बीरबलराम विश्नोई 4. पूनाराम पुत्र बीरबलराम विश्नोई 5. अम्बाराम पुत्र बीरबलराम विश्नोई 6. बाधुदेवी पत्नी बीरबलराम विश्नोई 7. राधेश्याम पुत्र भाखरराम विश्नोई निवासीगण आदर्शनगर, फलोदी, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर फलोदी दिनांक 11 सितम्बर 2019 राजस्व वाद संख्या 220/2008 रेवन्तराम बनाम शंकरराम आदि

-----0 -----

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 17 फरवरी 2020 रूबरू बहाजरी अधिवक्ता श्री रोशनलाल विश्नोई मिनजानिब अपीलाण्ट्स, श्री पूनाराम विश्नोई मिनजानिब रेस्पो. समायत पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है, जो तदनुसार खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं दिनांक 11 सितम्बर 2019 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ----/----) रूपये ----/---------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---------- अदा करें।

बसव्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 17 फरवरी 2020 को जारी किया गया।

17/2/2020

(नखतदान बारहठ)RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

(निरन्तर...2)

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	—	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	—

(नखतदान बारहठ)RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर